न्यायालय :: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- प्रिया टावरी, ''आर.जे.एस.''

फौजदारी विविध प्रकरण प्रकरण संख्या:- ...../2026 (CIS No.247/2026)

एफ.आई.आर. संख्या - 10/2026 पुलिस थाना कोतवाली जालोर

अंतर्गत धारा- 303(2) भा.न्या.सं., धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट,

15, 16 पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम

शाहरूख खान पुत्र रेहमत खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी मानपुरा कॉलोनी, गोडिजी वाडिया, जालोर, तहसील व जिला जालोर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अप्रार्थी

उपस्थित:-

1. श्री साबिर खान मेहर - विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भोपालसिंह - विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राजस्थान राज्य।

-: आदेश :- दिनांक:- 01 अप्रेल, 2026

1. प्रार्थी शाहरूख खान ने दिनांक 24.03.2026 को प्रार्थना पत्र बाबत् ट्रेक्टर नंबर आरजे 16 आरबी 4057 मय ट्रोली नंबर आरजे 16 ईवी 0215 को सुपुर्दगीनामे एवं जमानतनामे पर सुपुर्द करने का पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी को उक्त दिनांक को दिलवाई गई। प्रार्थना पत्र नियमानुसार फौजदारी विविध दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है, पत्रावली सिगे से तलब की गई। प्रकरण की खनिज विभाग व जिला परिवहन कार्यालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ट्रेक्टर नं आरजे 16 आरबी 4057 का पंजिबद्ध वाहन स्वामी है तथा ट्रोली नंबर आरजे 16 ईवी 0215 का पंजीबद्ध स्वामी इब्राहिम खान पुत्र रेहमत खान है, जिसने उसे वाहन ट्रोली का मुख्तयार नियुक्त किया गया है, जो आज भी प्रभावी है। उक्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली को खनन विभाग जालोर द्वारा अवैध कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना कोतवाली जालोर में निरूद्ध पर कब्जा तहवील किया हुआ है। प्रार्थी को उक्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली की हर समय आवश्यकता रहती है व उक्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली एक मात्र साधन है, जिससे प्रार्थी का रोजगार चलता है एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी अपने खते से मिट्टी भरकर पडौस के खेत में डालने जा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी के वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली को कब्जा तहवील लिया गया है। उक्त वाहन का चालान पेश हो चुका है तथा अनसुंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली थाना परिसर के बाहर खडा है जिसके अक्रियाशील अवस्था में पडे पडे धूप व हवाओं से रंग रोगन व टायर ट्युब खराब होने की सम्भावना है। प्रार्थी श्रीमानजी के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी के वाहनों को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द किया जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नगत

वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली का पंजीयन प्रमाण पत्र, ट्रेक्टर का बीमा, ट्रोली का मुख्तयारनामा, स्वयं के आधार कार्ड की प्रतियां पेश की।

3. उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत वाहन को सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे पर देने का निवेदन किया। जबकि अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया कि प्रार्थी के वाहन अवैध बजरी परिवहन में संलिप्त होना पाये गये है। जुर्माना राशि खनिज विभाग में जमा करवाये जाने के पश्चात् ही वाहनों सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे पर सौंपे जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं खनिज विभाग, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट मय पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि वाहन ट्रेक्टर नंबर आरजे 16 आरबी 4057 मय बिना नंबरी ट्रोली के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाया, जिस कारण सांफाड़ा तिराया पर सड़क पर बने गति अवरोधक पर वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रेक्टर के पीछे लगी ट्रोली पलटी खा गई और उसमें से बजरी नीचे गिर गई। उक्त वाहन में अवैध रूप से बजरी परिवहन किया गया, जिस कारण प्रश्नगत वाहनों को धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 4/21 एमएमडीआर व 15, 16 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रकरण में जब्त किया गया है। प्रार्थी जब्तशुदा उक्त प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर का पंजीकृत स्वामी व वाहन ट्रोली का आम मुख्तयार होना प्रकट हुआ है। पत्रावली में संलग्न थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जालोर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रश्नगत वाहनों से अवैध बजरी खनन कर परिवहन करना बताया है। खनिज विभाग की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में ट्रेक्टर नंबर आरजे 16 आरबी 4057 मय ट्रोली नंबर आरजे 16 ईवी 0215 के संबंध में ई-रवन्ना/रॉयल्टी/ट्रांजिस्ट पास प्रार्थी द्वारा पेश नहीं की गई है। प्रकरण में खनिज विभाग द्वारा पेश तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थी के वाहन के संबंध में खनिज बजरी की 10 गुणा रॉयल्टी राशि 1200/- रुपये एवं कम्पाउण्ड राशि 25,000/- रुपये एवं माननीय एनजीटी द्वारा अध्यारोपित जुर्माना राशि 1.00 लाख रूपये कुल 1,26,200/-रूपये (अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार दौ सौ रूपये) वसूली योग्य होने एवं उक्त राशि वसूली की रसीद प्रार्थी द्वारा जमा नहीं करा देने बाबत् रिपोर्ट दी है। खनिज विभाग द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.03.2026 में यह भी अभिकथित किया कि "इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आरोपित जुर्माना राशि राजकोष में जमा कराने एवं अपना पक्ष रखने हेतु राजकाज रेफ. नंबर. 21308879 से 30 दिवस का नोटिस जारी किया गया है। **विभागीय नियमानुसार जब्ती दिनांक 14.01.2026 से उक्त वाहन के राजसात की कार्यवाही शुरू हो चुकी है।**'' इस संदर्भ में निर्देशालय खान एवं भू-विज्ञान, खनिज भवन, उदयपुर द्वारा राजसात करने के लिये दिनांक 05.03.2021 को गाईडलाईन परिपादित की गई है जिनके अनुसार- ''निश्चित समयावधि में अवैध खननकर्ता/निर्गगनकर्ता/भण्डारणकर्ता द्वारा प्रकरण में वसूलनीय समस्त मांग राशि जमा नहीं कराई जाती है अथवा जमा कराए जाने की सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी

स्थिति में सहायक खनिज अभियन्ता अथवा वरिष्ठ स्तर के अधिकारी (खनिकार्यदेशक/सर्वेयर द्वारा वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष की पूर्वानुमति के पश्चात) द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा समस्त सामग्री का अधिहरण/राजसात कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।'' परिवहन विभाग द्वारा पेश तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थी के वाहन कोई जुर्माना राशि बकाया नहीं होना रिपोर्ट मे वर्णित है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 4239/2019 खेमसिंह बनाम सरकार आदेश दिनांक 03.09.19 में अवैध बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को कम्पाउडिंग फीस के साथ माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशानुसार एक लाख रूपये की कम्पाउण्डिग फीस लिये जाने के निर्देश दिये गये है। अप्रार्थी खनिज विभाग ने प्रार्थी के वाहनों का अवैध बजरी खनन कर परिवहन करने में प्रयुक्त होने से उस पर कुल 1,26,200/-रूपये (अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार दौ सौ रूपये) वसूली योग्य होना बताया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त खेमसिंह बनाम राजस्थान राज्य में अवैध खनिज बजरी में प्रयुक्त वाहनों को मजिस्ट्रेट द्वारा छोड़ते समय उन पर अन्य कम्पाउण्डिंग फीस के अलावा 1,00,000/-रूपये माननीय एन.जी.टी के आदेशानुसार कम्पाण्डिंग फीस वसूल करने के निर्देश दिये है।

6. इस प्रकार उक्त सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखे तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर नंबर आरजे 16 आरबी 4057 मय ट्रोली नंबर आरजे 16 ईवी 0215 के संबंध में अप्रार्थी खनिज विभाग द्वारा बतायी गयी राशि कुल 1,26,200/-रूपये (अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार दौ सौ रूपये) कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर में नियमानुसार जमा करवाकर जमा करवाने की रसीद न्यायालय के समक्ष पेश करें अथवा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायिक दृष्टान्त एस.बी. क्रिमीनल मिस. पिटीशन नम्बर 3595/2021 किशोर सिंह बनाम सरकार आदेश दिनांक 15.09.2021 के अनुसार प्रार्थी 1,26,200/-रूपये (अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार दौ सौ रूपये) की एक्टिव बैंक गांरटी न्यायालय के समक्ष पेश करें तो उसे प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर नंबर आरजे 16 आरबी 4057 मय ट्रोली नंबर आरजे 16 ईवी 0215 को निम्न शर्तों के अध्यधीन राशि 6,00,000/-रुपये (अक्षरे छः लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा एवं इतनी ही राशि का जमानतनामा पेश करने पर प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जावे किः-

1. प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के वाहनों का स्वामित्व किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेंगा तथा वाहन की स्थिति व रंग-रोगन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगा।

2. न्यायालय द्वारा उक्त वाहनों को तलब करने पर न्यायालय में पेश करेगा तथा इसमें चूक करने पर सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा की राशि को राज्य सरकार

को अदा करेगा।

3. प्रार्थी वाहन ट्रोली पर नियमानुसार नंबर प्लेट लगवाकर उसकी फोटो पेश करेगा।

4. प्रार्थी/वाहन मालिक इस आशय की अण्डरटेंकिग देंगा कि भविष्य में उक्त वाहन का प्रयोग अवैध गतिविधियों में नहीं करेगा, यदि करते हुऐ पाये जायेंगे तो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

7. थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जालोर को इस आशय की तहरीर जारी हो कि प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर नंबर आरजे 16 आरबी 4057 मय ट्रोली नंबर आरजे 16 ईवी 0215 में भरी बजरी पुनः उसी स्थान पर खाली करवाकर, जहां से भरी गई एवम् उक्त कार्यवाही का पंचनामा बनाकर खनिज अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग जालोर मय छायाचित्र व रिपोर्ट हस्तगत न्यायालय को भेजे। इस संबंध में खनिज अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग जालोर को तहरीर जारी की जावें।

(प्रिया टावरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर

8. आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रिया टावरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर